UPMB010001522024

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, (एफ0टी0सी0), महोबा।
सत्र वाद संख्या–39/2024
सरकार बनाम पुष्पेन्द्र आदि,
अपराध संख्या–296/2023
धारा–498ए,304बी भा0 दं0 सं0 व धारा 3/ 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना–कबरई, जिला महोबा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 227 सी0आर0पी0सी0 (उन्मोचन)

दिनांक–30.06.2025

पत्रावली आज पेश हुई। अभियुक्ता **श्रीमती फूलारानी पत्नी मूलचन्द्र कुशवाहा** के प्रार्थना पत्र 6ख डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र पर सुना गया। अभियोजन/ वादी मुकदमा को भी सुना गया।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 227 सी0आर0पी0सी0 कागज संख्या 6ख का निस्तारण–

प्रार्थिया/ अभियुक्ता **श्रीमती फूलारानी पत्नी मूलचन्द्र कुशवाहा** द्वारा प्रार्थना पत्र 6ख व शपथ पत्र 7ख प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थिया ग्राम दमौरा थाना महोबा जिला महोबा की निवासिनी है। प्रार्थिया लगभग 30 वर्षो से ग्राम दमौरा में निवास करती आइ है। प्रार्थिया की शादी मूलचन्द्र कुशवाहा के साथ हुई थी लेकिन शादी के कुछ वर्ष बाद ही मूलचन्द्र ने श्रीमती आशारानीसे दूसरी शादी कर ली थी जिससे प्रार्थिया को उसके पति से समझौते में ग्राम दमौरा में निवास व कुछ खेती जीवन यापन के लिये मिल गइ थी। तब से प्रार्थिया ग्राम दमौरा में रह रही है। प्रार्थिया का अपने पति की दूसरी पत्नी व उनके बच्चों के साथ मुहल्ला किदबई नगर कबरई में रही है। लेकिन मुकदमा वादिया ने अपनी तहरीर में अज्ञात दो सास करके नामजद कराया है यदि प्रार्थिया उनके साथ रहती तो प्रार्थिया का नाम वादिया को पता होता और वादिया व उसकी पुत्री श्रीमती रोशनी मृतका से कभी कोई दहेज को लेकर वाद विवाद या मांग की होती इसकी जानकारी वादिया को होती। मुकदमा वादिया ने केवल रूपयों के लालच में प्रार्थिया का नाम झूठा लिखया है। प्रार्थिया मृतका श्रीमती रोशनी के साथ कभी नहीं र ही और ना ही मृतका को कभी दहेज को लेकर परेशान किया है। प्रार्थिया एक वृद्ध महिला है जो उपरोक्त मुकदमा लडने में असमर्थ है जिसके आधार पर प्रार्थिया को उपरोक्त लगाये गये आरोपों से उन्मोचित किया जाना आवश्यक है। याचना की गयी कि प्रार्थिया को उपरोक्त लगाये गये आरोप से उन्मोचित करने की कृपा करें।

प्रार्थिया/ वादिया श्रीमती रामकली ने आपत्ति कागज संख्या 18ख प्रस्तुत कर कथन किया है कि अभियुक्ता श्रीमती फूलारानी पत्नी मूलचन्द्र कुशवाहा निवासी किदबई नगर कस्बा व थाना कबरई जिला महोबा द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र खिलाफ बाक्यात व खिलाफ कानून है और निरस्त किये जाने योग्य है। फूलारानी को मूलचन्द्र के साथ

शादी होना स्वीकार है। फूलारानी के कोई बच्चा ना होने की वजह से उसने स्वयं अपनी इच्छा से अपने पति की आशारानी से दूसरी शादी करायी थी तथा दोनों साथ–साथ मुहल्ला किदबई नगर कबरई में रहती रही है और रह रही है। दमोरा में दोनों का आना जाना बना रहता है। साथ फूलरानी आपत्तिकर्ती पुत्री से हमेशा एक लाख रूपये व एक मोटरसाईकिल की अतिरिक्त दहेज की मांग करती रही है और ना देने पर मारपीट व प्रताडित करती रही है। याचना की गयी कि उपरोक्त आधारों पर आशारानी द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र निरस्त करने की कृपा करें।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया है कि अभियुक्तगण पर वादी मुकदमा की पुत्री को शादी के लगभग चार साल बाद दहेज की लालच में गला दबाकर उसकी हत्या की है। अतः अभियुक्ता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना करते हुए अभियुक्ता के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने की याचना की गयी है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिया मुकदमा श्रीमती रामकली पत्नी श्री रामनारायन कुशवाहा निवासी कबरई तहसील व जिला महोबा ने इस आशय की तहरीर दी कि, आज से करीब 4 वर्ष पूर्व मैंने अपनी पुत्री रोशनी उम्र 23 वर्ष की शादी मुहल्ला किदबई नगर कबरई थाना कबरई जिला महोबा के निवासी पुष्पेन्द्र उम्र 28 वर्ष पुत्र श्री मूलचन्द्र कुशवाहा के साथ की थी। शादी के बाद से उक्त पुष्पेन्द्र व उसके भाई कल्लू उम्र 25 वर्ष पुत्रगण मूलचन्द्र कुशवाहा एवं उनकी मॉ नाम अज्ञात (दोनों सासें) एवं पिता मूलचन्द्र कुशवाहा उम्र 55 वर्ष पुत्र अज्ञात ने एकराय होकर आये दिन मेरी पुत्री रोशनी को प्रताडित करते हुये मारने पीटने लगे तथा घर से निकालने की धमकी देने लगे एवं दहेज की मांग करने लगे दहेज में मोटरसाईकिल, एक लाख रूपये की मांग करते रहे है। प्रार्थिया ने कई बार समझाने का भी प्रयास किया लेकिन उनकी हरकतों में कोई सुधार नहीं हुआ। प्रार्थिया अपने पुत्री को एक माह अपने घर पर रखे रही है एवं समझौता करके प्रार्थिया ने अपनी पुत्री रोशनी को ससुराल भेज दिया इसके बाद दिनांक 03.11.2023 की सुबह समय करीब 3:00 बजे उक्त लोगों ने एकराय होकर मेरी पुत्री रोशनी की हत्या बुरी तरीके से प्रताडित करके गला दबाकर मार डाला।

प्रकरण में केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिया मुकदमा ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0 प्रं0 सं0 में तहरीर का समर्थन किया है। केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि घटनास्थल के पडोसी श्री रज्जन श्रीवास, श्री सुरेन्द्र पाल सिंह, श्री अनिल, श्री सोनी श्रीवास, श्री सुरेन्द्र कुशवाहा, श्रीमती सीता, श्रीमती भूरी, श्रीमती कुसुम, श्री भूरेलाल ने अपने बयान धारा 161 द0 प्रं0 सं0 में अभियुक्त पुष्पेन्द्र, उसके पिता मूलचन्द्र, मूलचन्द्र की दोनो पत्नी फूलारानी व आशारानी को घटना के समय उपस्थित रहने व मृतका को अस्पताल ले जाने का कथन किया है। अतः इस स्तर पर गवाहों के बयान से यह तथ्य निकलकर आता है कि प्रार्थिया/ अभियुक्ता फूलारानी घटना के समय मौके पर उपस्थित थी और मृतका को अस्पताल ले जाते

समय भी उपस्थित रही है। अतः प्रार्थिया/ अभियुक्ता का यह कहना कि मृतका की सौतेली सास थी और इस कारण वह मृतका व उनके पति से अलग रहती थी। यह तथ्य विस्तृत साक्ष्य का विषय है।

आरोप विरचित किये जाने के समय न्यायालय को केवल प्रथम दृष्ट्या ही मामला देखना है, यह नहीं देखना है कि क्या अभियुक्तगण की दोषसिद्धि हो सकती है अथवा नहीं। केस डायरी में उपलब्ध सामग्री एवं गवाहान के बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 के आधार पर अभियुक्ता फूलारानी के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किये जाने के पर्याप्त आधार है।

उड़ीसा राज्य बनाम देवेन्द्र नाथ पथी (2005)1 एस.सी.सी. 568 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ये अवधारित किया गया आरोप विरचित किये जाते समय विस्तृत जॉच की अनुमति नहीं है। आरोप के समय बचाव पक्ष का साक्ष्य नहीं देखा जा सकता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ए.आइ.आर. 2009 एस.सी. 887 पलविन्दर बनाम बलविन्दर सिंह के मामले में मत व्यक्त किया कि आरोप विरचन के समय न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता बहुत ही सीमित है। इस स्तर पर साक्ष्य का मूल्यांकन अनावश्यक है। मात्र मजबूत संदेह के आधार पर ही आरोप विरचित किया जाना न्यायसंभव है।

विधि व्यवस्था तरूणाजीत तेजपाल बनाम स्टेट ऑफ गोवा और अन्य (2020) 17 एस.सी.सी. 556 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि विवेचक द्वारा एकत्रित साक्ष्य पर यदि प्रथमदृष्ट्या मामला स्थापित है तो आरोप निर्मित करना न्यायोचित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये भी मत व्यक्त किया, अभियुक्त के ओर उन्मोचन प्रार्थना पत्र पर कहे गये कथन/ साक्ष्य बचाव साक्ष्य के अन्तर्गत है जिसे विचारण के स्तर पर देखा जाना उचित होगा।

बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत विधि व्यवस्था **माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था कांशराज बनाम पंजाब राज्य (2000) 5 एस.सी.सी. 2007 में** यह मत व्यक्त किया गया है कि दहेज मृत्यु के मामले में मृतका के समस्त ससुरालीजनों को मामले में फसाने की प्रवृत्ति विकसित हो रही है। अगर इसे हतोत्साहित नहीं किया गया तो वास्तविक दोषियों के विरूद्ध अभियोजन कथानक को प्रभावित करेगा। उल्लेखनीय है कि उक्त विधि व्यवस्था का लाभ प्रस्तुत प्रकरण में बचाव पक्ष को नहीं मिलेगा। क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण अभी आरोप के स्तर पर है। प्रकरण में अभियोजन के साक्षीगणों ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0 प्रं0 सं0 में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है।

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि केस डायरी पर उपलब्ध सामग्री के अनुसार अभियुक्ता फूलारानी के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किये जाने का व धारा 498ए, 304बी भा0दं0सं0 व धारा 3/ 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम व वैकल्पिक धारा 302 भा0 दं0 सं0 के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का प्रथम दृष्ट्या पर्याप्त आधार है। तद्नुसार अभियुक्ता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 227 दं0 प्रं0 सं0 कागज 6ख

निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्ता फूलारानी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 227 दं0 प्रं0 सं0 कागज 6ख निरस्त किया जाता है। अभियुक्ता फूलारानी व अन्य अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 498ए, 304बी भा0दं0सं0 व धारा 3/ 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम व वैकल्पिक धारा 302 भा0 दं0 सं0 के अन्तर्गत आरोप विरचित हेतु पत्रावली दिनांक 24.07. 2025 को पेश हो। अभियुक्तगण उक्त तिथि को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होगें।

<u>दिनांकः 30.06.2025</u>

(सर्वोत्तमा नगेश शर्मा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
(एफ0टी0सी0), महोबा।

Digitally signed by Sarvottama Nagesh Sharma
Date: 2025.06.27 17:39:58 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court